कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक / स्था. / अराज / शा.चि.म.वि. / 2023 / 424 शहडोल, दिनांक 09 / 01 / 2023

आदेश

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अस्पताल प्रबन्धन संवर्ग के रिक्त पदों पर विज्ञापन क्रमांक / स्था.शाखा / एम.सी. / 2022 / 2081 शहडोल दिनांक – 18.06.2022 के तहत् एम.पी. ऑनलाईन के द्वारा आयोजित परीक्षा के अनुक्रम में जारी परिणाम के आधार पर कार्यालयीन सूचना क्रमांक / स्था.अराज / शा.चि.म.वि. / 2022 / 024 शहडोल दिनांक 29.09.2022 के तहत् मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए **बायोमेडिकल इंजीनियर** के पद पर एकमुश्त मासिक **वेतन रू. 60,000/– प्रतिमाह** एवं 2 प्रतिशत वार्षिक के साथ सी.पी.आई.के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र. में पदस्थ किया जाता है :–

बायोमेडिकल इंजीनियर (UR/X/OP)			
स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता / पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
1.	विकास पाटीदार पिता– सुभाष चन्द्र पाटीदार	मकान नं.– 145 वार्ड नं.–6 दत्तोतर मण्डी, जिला–देवास मध्यप्रदेश पिन कोड– 455001	अनारक्षित (ओपन)

नियुक्ति की शर्ते :–

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एंव एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' के अनुसार चयनित व्यक्ति को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
6. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
8. नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/– के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
11. चयनित प्रत्याशी को उपस्थिति पूर्व पुलिस वेरीफिकेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

12. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तो के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एंव परिवर्तन कर सकती है ।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत् न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नही होगा।
15. किसी भी राजनैतिक एंव विवादित गतिविधि में भाग नही लेंगें, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त है तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
16. आपके कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक 03 माह में किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
17. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगें।
18. म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नही कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एंव विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
19. चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ0 कमांक/स्था./अराज/शा.चि.म.वि./2023/........................ शहडोल, दिनांक ....../...../2023

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एंव अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
5. संयुक्त संचालक एंव अस्पताल अधीक्षक, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
6. स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0 ।
7. संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु0 4/- ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

//
(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था./अराज/शा.चि.म.वि./2023/........................ शहडोल, दिनांक ....../...../2023

आदेश

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अस्पताल प्रबन्धन संवर्ग के रिक्त पदों पर विज्ञापन क्रमांक/स्था.शाखा/एम.सी./2022/2081 शहडोल दिनांक – 18.06.2022 के तहत् एम.पी. ऑनलाईन के द्वारा आयोजित परीक्षा के अनुक्रम में जारी परिणाम के आधार पर कार्यालयीन सूचना क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2022/024 शहडोल दिनांक 29.09.2022 के तहत् मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के कम में चयनित करते हुए **बायोमेडिकल इंजीनियर** के पद पर एकमुश्त मासिक **वेतन रू. 60,000/– प्रतिमाह** एवं 2 प्रतिशत वार्षिक के साथ सी.पी.आई.के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र. में पदस्थ किया जाता है :–

बायोमेडिकल इंजीनियर (UR/X/OP)			
स.क्र.	**उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम**	**पता**	**चयनित श्रेणी**
1.	विकास पाटीदार पिता– सुभाष चन्द्र पाटीदार	मकान नं.– 145 वार्ड नं.–6 दत्तोतर मण्डी, जिला–देवास मध्यप्रदेश पिन कोड– 455001	अनारक्षित (ओपन)

नियुक्ति की शर्ते :–

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एंव एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' के अनुसार चयनित व्यक्ति को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
6. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
8. नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/– के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
11. चयनित प्रत्याशी को उपस्थिति पूर्व पुलिस वेरीफिकेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

12. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तो के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एंव परिवर्तन कर सकती है ।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत् न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नही होगा।
15. किसी भी राजनैतिक एंव विवादित गतिविधि में भाग नही लेंगें, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त है तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
16. आपके कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक 03 माह में किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवायें समाप्त की जा
17. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगें।
18. म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3597/2009/दो/सी–1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रें/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नही कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एंव विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
19. चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

नोट :– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

//
(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ0 कमांक/स्था./अराज/शा.चि.म.वि./2023/424-432 शहडोल, दिनांक 09/01/2023

प्रतिलिपि :– की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एंव अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
5. संयुक्त संचालक एंव अस्पताल अधीक्षक, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
6. स्थानीय लेखा–शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0 ।
7. संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु0 4/– ट्रेजरी चालान हेड– 0210–01–800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)